सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2022 / 75 दर्ज तिथिः—30.03.2026

1. धर्माराम पुत्र रावताराम
   जाति जाट निवासी मीठीबेरी तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा।

.....वादी

बनाम

1. भेराराम पुत्र रावताराम
2. कानाराम पुत्र रावताराम
3. पवन कुमार पुत्र खेताराम
4. मीरों पत्नी खेताराम
   जाति जाट निवासी मीठीबेरी तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा।

.....असल प्रतिवादीगण

5. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी
6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

दिनांकः—30.03.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा पेश कर निवेदन किया गयाः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

1.1 कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 से 04 हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

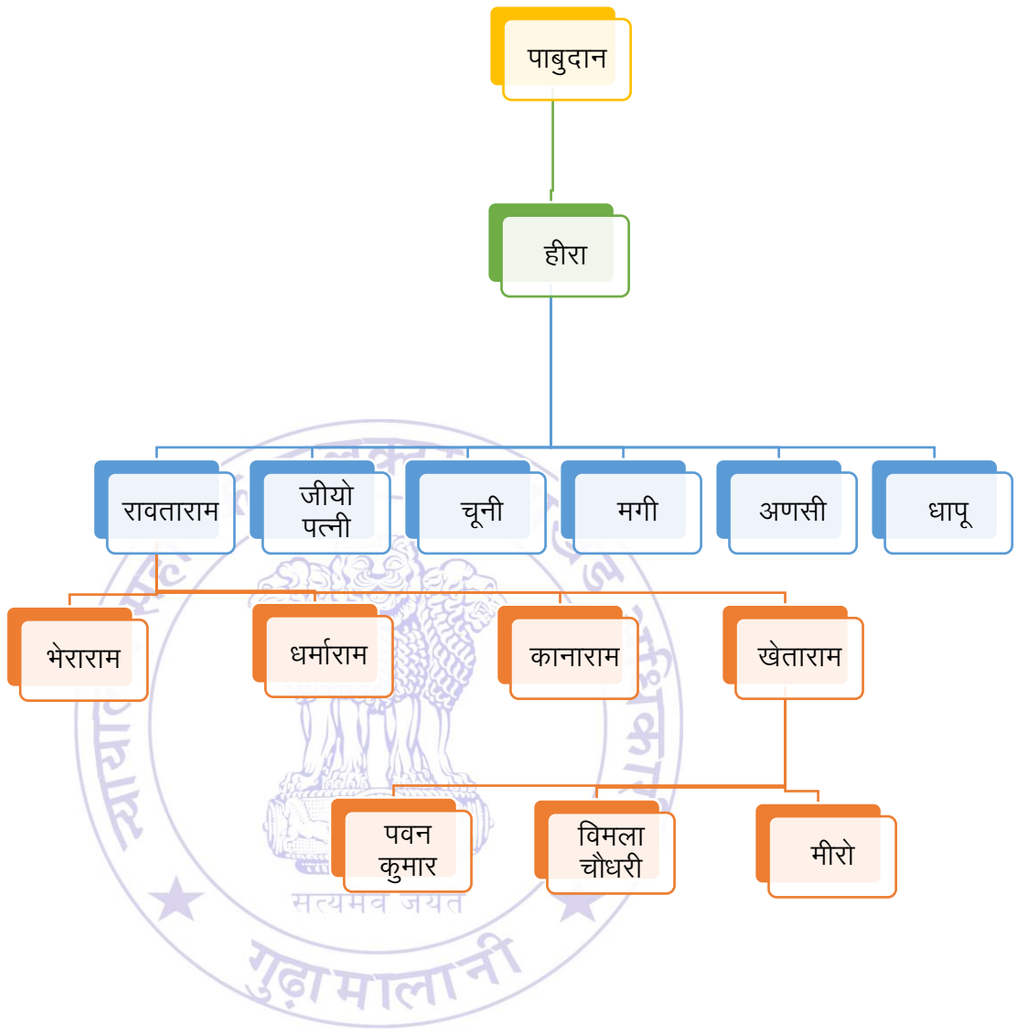

1.2 कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 से 04 की संयुक्त पैतृक आराजी खसरा संख्या 87, 88, 89 रकबा क्रमशः 0—03, 0—02, 122—09 बीघा कुल रकबा 122—14 बीघा मौजा मीठीबेरी पटवार हल्का गोलिया जेतमाल तहसील नोखड़ा में आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी का वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान वादी के दादा हीरा वल्द पाबुदान के नाम से हुआ था।

1.3 कि वादी के पिता रावताराम का देहांत वादी के दादा हीराराम से पूर्व हो चुका था। वादी के दादा हीराराम फौत होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं प्रतिवादी सं. 03, 04 के पिता व पति खेताराम व वादी की माता मगी के साथ—साथ वादी की दादी जीयों, वादी की भुआंए चूनी, मगी, अणसी, धापू का खातेदारी अधिकार निहित हो गए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

1.4 कि वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा वादी की दादी जीयों का, 1/6—1/6 हिस्सा वादी की भुआंओं का, 1/6 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 02 एवं प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के पिता व पति खेताराम तथा वादी की माता मगी खातेदारी हो गए। वादी की माता मगी फौत होने पर उनका हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 में निहित हो गया।

1.5 कि तत्पश्चात वादी की दादी जीयो देवी के फौत होने से जीयों के 1/6 हिस्से में उनकी चार पुत्रियों व पूर्व मृत पुत्र व पौत्र के वारिसानों का अधिकार पैदा हो गया। इस प्रकार वादी की दादी जीयो देवी फौत होने पर वादग्रस्त आराजी में चार भुआओं सहित सभी का 1/5—1/5 हिस्सा हो गया। चार भुआओं का कुल आराजी में 4/5 हिस्सा एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त 1/5 हिस्सा के खातेदारी अधिकारी पैदा हुए। 1/5 हिस्से में वादी के पिता रावताराम के चार पुत्र व एक पुत्र होने से वादी का 1/25 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में दर्ज हो गया।

1.6 कि वादी की भुआओं चूनी, मगी, अणसी, धापू ने अपने 4/5 हिस्से में से 4/25 हिस्सा का दस्तावेज संख्या 202003092100854 द्वारा दिनांक 22.06.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पक्ष में हकतर्क कर दिया गया। शेष चारों भुआओं का 16/25 हिस्सा शेष रहा। मगी, अणसी, धापू ने अपने शेष बचे 12/25 हिस्से का 202003092100854 द्वारा दिनांक 26.06.2020 को वादी के पक्ष में हकतर्क कर दिया।

1.7 इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/25 हिस्सा उत्तराधिकार से तथा 12/25 हिस्सा दिनांक 26.06.2020 हकतर्कनामे से प्राप्त होने पर कुल हिस्सा 13/25 हो गया। वादी इसी 13/25 हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। इस प्रकार वादी अपने 13/25 हिस्से में आने वाले रकबा 63 बीघा 10 बिस्वा भूमि की घोषणा व विभाजन करवाना चाहता है। इस प्रकार वादी उक्त 13/25 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है।

1.8 कि वादी की दादी फोत होने पर उनके वारिसान में प्रतिवादी संख्या 01—04 के साथ—साथ वादी के प्रथम श्रेणी का वारिस होने तथा वादी की बुआओं द्वारा वादी के पक्ष में हकतर्क करने से वादी के खातेदारी अधिकार निहित हो गये है। जबकि नामांतरण संख्या 99 व 420 वादी को वंचित रखते हुए दर्ज किए गए हैं, जो कि आरम्भ से शुन्य व अवैध हैं।

1.9 कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02—03 व 07 मौके पर रहवासी ढाणी बनाकर कब्जे काश्त है। परंतु प्रतिवादी संख्या 01—03 वादी को बेदखल करने पर आमदा है। इस कारण वादी को मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करना पड़ा है।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

2.1. कि वादीगण व प्रतिवादी के पिताजी की बहिनों द्वारा पूर्व में ही हकतर्क कर भूमि समान भाग में नामान्तकरण संख्या 420 दिनांक 05.09.2020 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4—1/4 वर्तमान में दर्ज है।

2.2. वादी व प्रतिवादी के मध्य उक्त वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4—1/4 अनुसार वहामी बंटवारा किया हुआ है। उक्त सहमति के बंटवाड़े अनुसार प्रतिवादी विभाजन हेतु सहमत है।

2.3. कि हकतर्कनामा दिनांक 22.06.2020 सही निष्पादित किया गया है तथा हकतर्कनामा दिनांक 26.06.2020 आरंभ से ही शुन्य है। प्रथम हकतर्क दिनांक 22.06.2020 के अनुसार सभी वारिसों के समान अधिकार प्राप्त हुए है। इस कारण द्वितीय हकतर्कनामा 26.06.2020 अपने आप में आरंभ से शुन्य है।

2.4. कि मुतनाजा आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे।

2.5. कि उक्त घोषणा के पश्चात बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तथा मौका कब्जा को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादीगण का विभाजन किया जावे।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में तनकीयात कायम किये गये। उक्त तनकीयात दावा के निर्णयन हेतु पर्याप्त रूप से कायम नहीं किये गये है। उक्त तनकीयाता में वादी व प्रतिवादी के मध्य मुख्य विवाद विषयवस्तु के बारे में तनकी कायम नहीं की गई है। इस कारण प्रकरण में निम्नानुसार संशोधित तनकी कायम की जा रही है :—

1. *आया वादीगण वादपत्र में मुतनाजा आराजी पर 13/25 हिस्से की निहित खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है ?*

..... वादीगण

2. *आया वादीगण वादपत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का मुताबिक जमाबंदी हिस्सा तकासमा करवाकर राजस्व रेकॉर्ड में पृथक अंकन करवाने के अधिकारी है ?*

..... वादीगण

3. *आया वादीगण वादपत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा तकासमा करवाकर राजस्व रेकॉर्ड में पृथक खाता अंकन पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुताबिक वादपत्र उल्लेखित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?*

..... वादीगण

4. *आया प्रतिवादीगण वादपत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का वादी व प्रतिवादी के 1/4—1/4 हिस्से अनुसार एवं स्थाई आलामात को मध्यनजर रखते हुए अच्छे से अच्छी एवं कमजोर किस्म व सड़क की सुविधा अनुसार तकासमा करवाकर राजस्व रेकॉर्ड में पृथक खाता अंकन करवाने के अधिकारी है ?*

.....प्रतिवादीगण

5. अन्य सहायता.....

.....उभय पक्षकारान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में विचारण आरंभ किया गया तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खसरा संख्या 87, 88, 89 संवत 2074—77 मौजा मीठीबेरी	प्रदर्शपी—01
जमाबंदी	प्रथम जमाबंदी खसरा संख्या 87, 88, 89 मौजा गोलिया जैतमाल	प्रदर्शपी—02
जमाबंदी	खसरा संख्या 87, 88, 89 संवत 2053 से 2057 मौजा मीठीबेरी	प्रदर्शपी—03
हकतर्कनामा	हकतर्कनामा संख्या 202003092100854 की प्रति	प्रदर्शपी—04
हकतर्कनामा	हकतर्कनामा संख्या 202003092100943	प्रदर्शपी—05ए
नामान्तकरण	नामान्तकरण संख्या 420 मौजा मीठीबेरी की प्रति	प्रदर्शपी—06

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
धर्माराम पुत्र रावताराम	जाट	मीठीबेरी	पी0डब्ल्यू—1
हीराराम पुत्र रामाराम	सुथार	मीठीबेरी	पी0डब्ल्यू—2

6. प्रकरण में वादीगण द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

6.1. कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 से 04 हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है।

6.2. कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 से 04 की संयुक्त पैतृक आराजी खसरा संख्या 87, 88, 89 रकबा क्रमशः 0—03, 0—02, 122—09 बीघा कुल रकबा 122—14 बीघा मौजा मीठीबेरी पटवार हल्का गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा में आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी का वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान वादी के दादा हीरा वल्द पाबुदान के नाम से हुआ था।

6.3. कि वादी के पिता रावताराम का देहांत वादी के दादा हीराराम से पूर्व हो चुका था। वादी के दादा हीराराम फौत होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं प्रतिवादी सं. 03, 04 के पिता व पति खेताराम व वादी की माता मगी के साथ—साथ वादी की दादी जीयों, वादी की भुआंए चूनी, मगी, अणसी, धापू का खातेदारी अधिकार निहित हो गए।

6.4. कि वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा वादी की दादी जीयों का, 1/6—1/6 हिस्सा वादी की भुआंओं का, 1/6 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 02 एवं प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के पिता व पति खेताराम तथा वादी की माता मगी खातेदारी हो गए। वादी की माता मगी फौत होने पर उनका हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 में निहित हो गया।

6.5. कि तत्पश्चात वादी की दादी जीयो देवी के फौत होने से जीयों के 1/6 हिस्से में उनकी चार पुत्रियों व पूर्व मृत पुत्र व पौत्र के वारिसानों का अधिकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

पैदा हो गया। इस प्रकार वादी की दादी जीयो देवी फौत होने पर वादग्रस्त आराजी में चार भुआओं सहित सभी का 1/5—1/5 हिस्सा हो गया। चार भुआओं का कुल आराजी में 4/5 हिस्सा एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त 1/5 हिस्सा के खातेदारी अधिकारी पैदा हुए। 1/5 हिस्से में वादी के पिता रावताराम के चार पुत्र व एक पुत्र होने से वादी का 1/25 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में दर्ज हो गया।

6.6. कि वादी की भुआओं चूनी, मगी, अणसी, धापू ने अपने 4/5 हिस्से में से 4/25 हिस्सा का दस्तावेज संख्या 202003092100854 द्वारा दिनांक 22.06.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पक्ष में हकतर्क कर दिया गया। शेष चारों भुआओं का 16/25 हिस्सा शेष रहा। मगी, अणसी, धापू ने अपने शेष बचे 12/25 हिस्से का 202003092100854 द्वारा दिनांक 26.06.2020 को वादी के पक्ष में हकतर्क कर दिया।

6.7. इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/25 हिस्सा उत्तराधिकार से तथा 12/25 हिस्सा हकतर्कनामे से प्राप्त होने पर कुल हिस्सा 13/25 हो गया। वादी इसी 13/25 हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। इस प्रकार वादी अपने 13/25 हिस्से में आने वाले रकबा 63 बीघा 10 बिस्वा भूमि की घोषणा व विभाजन करवाना चाहता है। इस प्रकार वादी उक्त 13/25 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है।

6.8. कि वादी की दादी फोत होने पर उनके वारिसान में प्रतिवादी संख्या 01—04 के साथ—साथ वादी के प्रथम श्रेणी का वारिस होने तथा वादी की बुआओं द्वारा वादी के पक्ष में हकतर्क करने से वादी के खातेदारी अधिकार निहित हो गये है। जबकि नामांतरण संख्या 99 व 420 वादी को वंचित रखते हुए दर्ज किए गए हैं, जो कि आरम्भ से शुन्य व अवैध हैं।

6.9. कि वादी व प्रतिवादी संख्या 02—03 व 07 मौके पर रहवासी ढाणी बनाकर कब्जे काश्त है। परंतु प्रतिवादी संख्या 01—03 वादी को बेदखल करने पर आमदा है। इस कारण वादी को मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करना पड़ा है।

6.10. इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा—04 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

7. प्रकरण में हीराराम पुत्र रामाराम पी0डब्ल्यू—01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मैं हीराराम पुत्र रामाराम उम्र 54 निवासी मीठीबेरी, धर्माराम मेरे पड़ौसी है। आज मुष्े धर्माराम कोर्ट में लेकर आए। धर्माराम ने कहा कि जो हकीकत है वो कोर्ट में चलकर बयान करता है। कि वादी व प्रतिवादी पाबूदान के वंशज है। यह इनका पैतृक खेत है। वादी धर्माराम व प्रतिवादी कुल 4 भाई है। एक भाई खेताराम फौत है उसके एक लड़का है व उसकी पत्नी मीरो देवी है। जमीन भाईयों के आपस में बांटी हुई है अज खुद कहा कि कडों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मैने कभी पांवड़े नहीं दिए। वादी धर्माराम के पूर्वज एवं भाईयों ने मिल बांटकर जमीन का बंटवारा किया हुआ है। दो साल पहले इनके खाते का नामांतरण भरा गया। मुझे म्युटेशन के बारे में पता नहीं है।

8. तत्पश्चात प्रकरण में विचारण प्रारंभ किये जाने पर पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करवाए गए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

9. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
भैराराम पुत्र रावताराम	जाट	मीठीबेरी	डी0डब्ल्यू—1
हेमाराम पुत्र मूलाराम	जाट	मीठीबेरी	डी0डब्ल्यू—2

10. प्रकरण में प्रतिवादीगण साक्ष्य भैराराम पुत्र रावताराम डी0डब्ल्यू—01, हेमाराम पुत्र मूलाराम डी0डब्ल्यू—02 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये
    10.1. कि वादीगण व प्रतिवादी के पिताजी की बहिनों द्वारा पूर्व में ही हकतर्क कर भूमि समान भाग में नामान्तकरण संख्या 420 दिनांक 05.09.2020 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4—1/4 वर्तमान में दर्ज है।
    10.2. वादी व प्रतिवादी के मध्य उक्त वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4—1/4 अनुसार वहामी बंटवारा किया हुआ है। उक्त सहमति के बंटवाड़े अनुसार प्रतिवादी विभाजन हेतु सहमत है।
    10.3. कि हकतर्कनामा दिनांक 22.06.2020 सही निष्पादित किया गया है तथा हकतर्कनामा दिनांक 26.06.2020 आरंभ से ही शुन्य है। प्रथम हकतर्क दिनांक 22.06.2020 के अनुसार सभी वारिसों के समान अधिकार प्राप्त हुए है। इस कारण द्वितीय हकतर्कनामा 26.06.2020 अपने आप में आरंभ से शुन्य है।
    10.4. कि मुतनाजा आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे।
    10.5. कि उक्त घोषणा के पश्चात बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तथा मौका कब्जा को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादीगण का विभाजन किया जावे।

11. प्रकरण में भैराराम पुत्र रावताराम डी0डब्ल्यू—01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि हीराराम मेरा दादा लगते है। हीराराम जी के चार लडकियां और एक लडका है। यह बात सही है कि हीराराम जी के पुत्र रावता राम जी मेरे पिताजी लगते हैं। यह बात सही है कि हीराराम जी ने अपने जीवनकाल में अपनी भूमि का न तो किसी को वसीयत की, ना दान की और ना ही किसी को बेचान किया। हीराराम जी फोत हुए तब जियों देवी जिंदा थे। यह बात सही है कि हीराराम के पोते का नामांतरणकरण रावताराम के वारिसानों व जियों देवी के नाम से दर्ज किया गया। यह बात सही है कि हीराराम फोत हुए तब हीराराम की पुत्रियों ने हकतर्कनामा नहीं करवाया। यह बात सही है कि प्रदर्श—4 हकतर्कनामा में चुनीदेवी, मगीदेवी, अणसीदेवी, धापूदेवी, अनुदेवी और विमलादेवी द्वारा हकतर्क करवाया गया। यह बात सही है कि इस हकतर्कनामा के जरिये हकतर्क कर्ताओं ने 1/15 हिस्से का हक त्याग किया। हकतर्क कर्ताओं का कितना हिस्सा आ रहा है वह मुझे पता नही है। धर्माराम द्वारा मगी देवी, अणसी देवी व धापू देवी को हमारे हकतर्क के 4 दिन बाद हकतर्क करवाने लाया था। धर्माराम के पक्ष में किए गए हकतर्कनामें में मगी देवी, अणसीदेवी व धापू देवी का 12/25 हिस्सा है तो मुझे मालूम नहीं है। यह कहना सही है कि हम चारो भाई बराबर हिस्से की जमीन मौके पर जुताई करते हैं। यह बात सही है कि धर्माराम के पक्ष में मगी देवी,

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

अणसी देवी व धापू देवी के द्वारा किए गए हकतर्कनामें को हमने किसी भी न्यायालय में खारिज करने हेतु दावा नहीं किया है। यह बात झूठी है कि हमारे द्वारा करवाए गए हकतर्कनामा में धर्माराम का नाम धर्माराम की जमीन हडपने की नीयत से लिखा हो। अज खुद ने कहा कि हम चारों भाईयों ने बराबर जमीन ली है।

12. प्रकरण में हेमाराम पुत्र मूलाराम डी0डब्ल्यू—02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि भैराराम मेरे काकाई भाई लगता है। धर्माराम भी मेरे काकाई भाई लगता है। भैराराम ने अपने पक्ष में करवाए गए हकतर्कनामें में मै साथ में था। धर्माराम ने अपने बुआओं से करवाए हकतर्कनामें में मै साथ में नहीं था। भैराराम के पक्ष में किए गए हमतर्कनामें में कितनी भूमि हक त्याग की गई मुझे पता नहीं। धर्माराम ने कितनी बीघा जमीन अपने पक्ष में हकतर्क करवाई मुझे पता नहीं। मेरे धर्माराम, भैराराम बराबर लगते हैं। आज तो मुझे गवा देने के लिए भैराराम ने फोन किया। धर्माराम ने मुझे गवाह देने के लिए कहा था और यदि मुझे धर्माराम ने भी गवाह देने के लिए कहा होता तो मै आ जाता।

13. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/25 हिस्सा उत्तराधिकार से तथा 12/25 हिस्सा दिनांक 26.06.2020 हकतर्कनामे से प्राप्त होने पर कुल हिस्सा 13/25 अनुसार मौके पर काबिज काश्त होने के आधार पर 13/25 हिस्से में आने वाले रकबा 63 बीघा 10 बिस्वा भूमि की घोषणा व विभाजन करवाते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि हकतर्कनामा दिनांक 22.06.2020 सही निष्पादित किया गया है तथा हकतर्कनामा दिनांक 26.06.2020 आरंभ से ही शुन्य है। इस कारण प्रथम हकतर्क दिनांक 22.06.2020 के अनुसार सभी वारिसों के समान अधिकार प्राप्त हुए है। इस कारण द्वितीय हकतर्कनामा 26.06.2020 अपने आप में आरंभ से शुन्य है। इस आधार पर मुतनाजा आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे।

14. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैंः—

    1. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर 13/25 हिस्से की निहित खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है।*

    .....*वादीगण*

15. प्रकरण में प्रथम तनकी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/25 हिस्सा उत्तराधिकार से तथा 12/25 हिस्सा दिनांक 26.06.2020 हकतर्कनामे से प्राप्त होने पर कुल हिस्सा 13/25 अनुसार मौके पर काबिज काश्त होने के आधार पर 13/25 हिस्से में आने वाले रकबा 63 बीघा 10 बिस्वा भूमि की घोषणा व विभाजन करवाते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने से संबंधित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

16. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादी को 1/25 हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। विवाद का मुख्य बिन्दु हकतर्कनमा दिनांक 26.06.2020 है। यहां यह भी निर्विवादित है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार से संबधित है। वादी व प्रतिवादी हिन्दू विधि से शासित होते है। साथ ही मुतनाजा आराजी वादी व प्रतिवादी की पैतृक आराजी है। उक्त पैतृक आराजी का अभी तक वादी व प्रतिवादी के मध्य विभाजन नहीं हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी सहदायिकी व पैतृक संपति है। जिस पर वादी व प्रतिवादी सहदायक के रूप में सहखातेदार की हैसियत से संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है।

17. इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा किए गए हकत्याग दिनांक 07.10.2016 को लेकर विवाद है। प्रकरण में सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत सहदायक संपति में सहदायक के द्वारा हकत्याग को लेकर विधि की स्थिति को समझना आवश्यक प्रतीत होता है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित असंख्य न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा सहदायिकी संपति में सहदायको के द्वारा हकत्याग की व्याख्या की गई है। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांतों द्वारा की गई विवेचना का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है। इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 2567/2017 बउनवान ***M.R.Vinoda vs M.S.Susheelamma*** में दिनांक 13.12.2021 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के हकतर्क की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *18. The second question for consideration is whether as a Karta or the head of the branch, M.R. Rajashekar, i.e., Defendant No. 4, could have validly executed the relinquishment deed, marked Exhibit P-2, on behalf of his branch? The answer to this issue is well settled, and for that reference is to be made to Thamma Venkata Subbamma (Dead) By LR v. Thamma Rattamma and Others,11 which decision refers to the legal position in the Hindu law in great depth and detail.*
>
> *After adverting to Mayne's Treatise on Hindu Law & Usage, Eleventh Edition, Article 38212 and Mulla's Hindu Law, Fifteenth Edition, Article 258,13 it has been held thus:*
>
> > *"17. It is, however, a settled law that a coparcener can make a gift of his undivided interest in the coparcenary property to another coparcener or to a stranger with the prior consent of all other coparceners. Such a gift would be quite legal and valid."*
>
> *This judgment draws a distinction between gifts and relinquishment by a coparcener of his share; and the head of the branch or Karta as the representative or eldest member of the branch. Former is valid and legal, provided the relinquishment is in favour of all other coparceners. The gift or relinquishment would also be valid if it is with the prior consent of another coparcener. Equally, a coparcener may make a gift of his undivided interest in the coparcenary property to another coparcenary with the prior consent of other coparceners.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

12 Relevant part of the Mayne's Treatise on Hindu Law & Usage, Eleventh Edition, Article 382 reads:

> *"It is now equally well settled in all the Provinces that a gift or devise by a coparcener in a Mitakshara family of his undivided interest is wholly invalid.... A coparcener cannot make a gift of his undivided interest in the family property, movable or immovable, either to a stranger or to a relative except for purposes warranted by special texts."*

13 Relevant part of the Mulla's Hindu Law, Fifteenth Edition, Article 258 reads as:

> *"Gift of undivided interest.—(1) According to the Mitakshara law as applied in all the States, no coparcener can dispose of his undivided interest in coparcenary property by gift. Such transaction being void altogether there is no estoppel or other kind of personal bar which precludes the donor from asserting his right to recover the transferred property. He may, however, make a gift of his interest with the consent of the other coparceners."*

19. Mulla's Hindu Law, 22nd Edition vide Article 262, states that a coparcener may renounce his interest in favour of the other coparceners as a body, but not in favour of one or more of them. When he renounces in favour of one or more of them, the renunciation enures for the benefit of all other coparceners and not for the sole benefit of the coparcener or coparceners in whose favour the renunciation is made. A similar exposition vide Article 407 in Mayne's Treatise on Hindu Law & Usage, 17th dition, states that a gift by a coparcener of his entire undivided interest in favour of the other coparcener or coparceners is valid whether it is regarded as one made with the consent of the other or others or as a renunciation of his interest in favour of all. Referring to the judgment in Thamma Venkata Subbamma (supra), Mayne's Treatise on Hindu Law & Usage observes that renunciation in the form of ostensible gift may have the effect of relinquishment and if it enures for the benefit of all the coparceners, such gift would be construed as valid. In addition, Mulla's Hindu Law, 22nd Edition recognises that a father or other managing member of the ancestral immovable property can make gifts within reasonable limits for "pious purposes".

18. इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के द्वारा सहदायिकी संपति में किये गए हकत्याग द्वारा अंतरण की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता/सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के किये गए हकत्याग से सहदायिकी के अन्य सहदायक के हिस्से में वृद्धि होती है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता/सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के किसी एक सहदायक के पक्ष में किये गए हकत्याग को सहदायिकी के*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

समस्त सहदायकों के पक्ष में किया गया हकत्याग माना जाता है।

19. उपरोक्त प्रकार से स्पष्ट है कि हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के किसी एक सहदायक के पक्ष में किये गए हकत्याग को सहदायिकी के समस्त सहदायकों के पक्ष में किया गया हकत्याग माना जाता है। प्रकरण में मुतनाजा आराजी सहदायिकी संपति है। उक्त सहदायिकी संपति में पक्षकारान की भुआओं को विरासत से संपति प्राप्त हुई। इस प्रकार पक्षकारान की भुआए उक्त सहदायिकी के सभी अन्य सहखातेदारों/सहदायिकों के पक्ष में ही हक त्याग करने हेतु अधिकार निहित रखती है। इस प्रकार पक्षकारान की भुआओं द्वारा किसी एक विशेष सहखातेदार/सहदायिक के पक्ष में ही हक त्याग करने का विधिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार पक्षकारान की भुआओं द्वारा किसी विशेष सहदायक के पक्ष में किया गया अपने संपूर्ण हिस्से का हकत्याग विधि द्वारा अनुमत नहीं है।

20. प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मुतनाजा आराजी वादी व प्रतिवादी की सहखातेदारी आराजी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उक्त मुतनाजा आराजी पैतृक संपति है तथा वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के मध्य मुतनाजा आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। इस प्रकार पक्षकारान की भुआओं द्वारा किसी विशेष सहदायक पक्ष में किया गया अपने संपूर्ण हिस्से का हकत्याग विधि के अनुसार सभी पुत्रों व पुत्रियों को समान रूप से हक प्रदान करने वाला माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 01 को साबित करने में असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 01 वादीगण के विपक्ष में स्वीकार की जाती है।

21. अब प्रकरण में तनकी संख्या 02 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार हैंः—

> *2. आया वादीगण वादपत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का मुताबिक जमाबंदी हिस्सा तकासमा करवाकर राजस्व रेकॉर्ड में पृथक अंकन करवाने के अधिकारी है।*
>
> *.....वादीगण*

22. प्रकरण में तनकी संख्या 02 उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर खाता विभाजन से संबंधित है। वादी व प्रतिवादी उक्त मुतनाजा आराजी में सहखातेदार है। उक्त मुतनाजा आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त मुतनाजा आराजी का विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रतिवादी भी अपनी खातेदारी आराजी का विभाजन करवाना चाहते है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 02 को साबित करने में सफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

23. अब प्रकरण में तनकी संख्या 03 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार हैंः—

> *3. आया वादीगण वादपत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा तकासमा करवाकर राजस्व रेकॉर्ड में पृथक खाता*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

अंकन पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुताबिक वादपत्र उल्लेखित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

24. प्रकरण में तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

25. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू—भाग पर विधिक विभाजन करवाने के पश्चात कब्जे स्पष्ट है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार अगर वादी की खातेदारी व पृथक खाता में दर्ज कब्जेसुदा आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो निश्चित ही वादी के खातेदारी अधिकारों को क्षति उत्पन्न होगी व न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न होना प्रबल संभावित है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी का विधिक विभाजन करवाने के पश्चात स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

26. अब प्रकरण में तनकी संख्या 04 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार हैंः—

> *4. आया प्रतिवादीगण वादपत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का वादी व प्रतिवादी के 1/4—1/4 हिस्से अनुसार एवं स्थाई आलामात को मध्यनजर रखते हुए अच्छे से अच्छी एवं कमजोर किस्म व सड़क की सुविधा अनुसार तकासमा करवाकर राजस्व रेकॉर्ड में पृथक खाता अंकन करवाने के अधिकारी है।*
>
> *.....वादीगण*

27. प्रकरण में तनकी संख्या 04 संयुक्त आराजी का विभाजन प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान की भुआओं द्वारा किसी विशेष सहदायक पक्ष में किया गया अपने संपूर्ण हिस्से का हकत्याग विधि के अनुसार सभी पुत्रों व पुत्रियों को समान रूप से हक प्रदान करने वाला माना जाने के आधार पर तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्ध फैसल की गई है। इस कारण प्रकरण में पक्षकारान की भुआओं द्वारा किसी विशेष सहदायक पक्ष में किया गया अपने संपूर्ण हिस्से का हकत्याग विधि के अनुसार सभी पुत्रों व पुत्रियों को समान रूप से हक प्रदान करने वाला माना जाने से मुतनाजा आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी अधिकार निहित होना विधिसंगत है। इस कारण मुतनाजा आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी अधिकार निहित होने के आधार पर संयुक्त खातेदारी आराजी का विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही संयुक्त खातेदारी आराजी के विभाजन के पश्चात प्रत्येक पृथक खाते के खातेदार/खातेदारान को अन्य काश्तकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 04 को साबित करने में प्रतिवादी सफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 04 प्रतिवादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

28. प्रकरण में इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारान की भुआओं द्वारा किसी विशेष सहदायक पक्ष में किया गया अपने संपूर्ण हिस्से का हकत्याग विधि के अनुसार सभी पुत्रों व पुत्रियों को समान रूप से हक प्रदान करने वाला माना जाने से मुतनाजा आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी अधिकार निहित होना माना जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही वादी व प्रतिवादी को उक्त खातेदारी अधिकार अनुसार संयुक्त खातेदारी आराजी का विभाजन करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज, तथा तकास्मा व हुक्म—ए—इमतिनाई स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा संख्या 87, 88, 89 रकबा क्रमशः 0—03, 0—02, 122—09 बीघा कुल रकबा 122—14 बीघा मौजा मीठीबेरी पटवार हल्का गोलिया जेतमाल तहसील नोखड़ा में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही मुतनाजा आराजी में वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण का उक्त प्रकरण में घोषित हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम—1955 के नियम—18 से 21 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में खाता विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात—रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस तैयार कर संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते है। प्रकरण में उभय पक्षकारान अपनी खातेदारी आराजी का विधिक विभाजन करवाने के पश्चात एक—दुसरे की खातेदारी आराजी पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी व मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाते है।

प्राथमिक निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 30.03.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2022/75 दर्ज तिथिः—30.03.2026

1. धर्माराम पुत्र रावताराम
   जाति जाट निवासी मीठीबेरी तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा।

.....वादी

बनाम

1. भेराराम पुत्र रावताराम
2. कानाराम पुत्र रावताराम
3. पवन कुमार पुत्र खेताराम
4. मीरों पत्नी खेताराम
   जाति जाट निवासी मीठीबेरी तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा।

.....असल प्रतिवादीगण

5. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी
6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज, तथा तकास्मा व हुक्म—ए—इमतिनाई स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा संख्या 87, 88, 89 रकबा क्रमशः 0—03, 0—02, 122—09 बीघा कुल रकबा 122—14 बीघा मौजा मीठीबेरी पटवार हल्का गोलिया जेतमाल तहसील

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested

नोखड़ा में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही मुतनाजा आराजी में वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण का उक्त प्रकरण में घोषित हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम—1955 के नियम—18 से 21 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में खाता विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात—रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस तैयार कर संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते है। प्रकरण में उभय पक्षकारान अपनी खातेदारी आराजी का विधिक विभाजन करवाने के पश्चात एक—दुसरे की खातेदारी आराजी पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी व मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाते है।

यह प्रारम्भिक डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:26 IST
Reason: SelfAttested